IEDUP

FINAL
30.07.2014

चैप्टर – 01

रूग्ण इकाईयों का पुर्नवासन, रोकथाम एवं एक्जिट पॉलिसी – 2014

DRAFT (Rehabilitation of Sick Units, Prevention & Exit Policy-2014)

रूग्णता के कारण, संकेत तथा पहचान

(स्रोत– सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अध्ययन रिपोर्ट)

रूग्णता एवं उधारकर्ता का व्यवहार

वास्तव में कोई भी इकाई एकाएक रूग्ण नहीं होती है बल्कि रूग्ण होने के पूर्व कई स्तरों से गुजरती है। बैंकों के अनसार उद्यमी से संबंधित समस्त बिन्दु ऋण स्वीकृति के समय ठीक होते हैं किन्तु व्यवसाय में अनिश्चितता एवं मौसमी व्यवसाय होने के फलस्वरूप इकाई का ऋण खाता निम्न स्तर पर परिचालित होने लगता है। इन कारणों के फलस्वरूप इकाई की नगदी अथवा ओवरड्राफ्ट अनियमित हो जाता है। प्रायः यह अनियमितता अस्थायी होती है जो साधरणतया कच्चेमाल की अनुपलब्धता, कारीगरों की हड़ताल, विद्युत कटौती, कार्यशील पूंजी की कमी, मशीन का खराब होना, आदेशों का रिजेक्शन अथवा विलंब से बिलों का समायोजन होना होता है।

यदि उपरोक्त अनियमितता लम्बे समय तक स्थिर बनी रहती है तथा इकाई अपने ब्याज का भुगतान नहीं कर पाती है तो ऐसी दशा में भी बैंक अपने ऋणकर्ता को सहयोग देने को तत्पर रहता है यदि (1) उधारकर्ता की साख बनी रहती है, (2) इकाई के जीवित होने का अवसर बना रहता है, क्योंकि इकाई अभी भी सफल संचालन हेतु सामान्य रहती है।

सामान्यतः इस प्रकार की स्थिति में पुर्नवासन की सम्भावनायें बनी रहती हैं और पुर्नवासन से ऐसी इकाईयॉ पुनः स्वस्थ्य हो जाती है।

रूग्ण होने के कारण

रूग्णता के कारणों को औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि के अनुसार देखने पर विकास एवं घटाव दोनो ही अपना प्रभाव एक समय के भीतर दर्शाते हैं। किसी भी एक बिन्दु पर इकाईयों की समस्यायें एक जैसी नहीं होती हैं। दो अवयव क्रमशः आन्तरिक एवं वाह्य कारक इकाईयों के समस्याओं के कारक होते हैं जिन पर इकाई का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नियंत्रण नहीं होता है अथवा किन्हीं कारणों से इकाई के प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं।

इकाईयों के वाह्य कारकों में वित्तीय नीतियॉ, मूल्य निर्धारण, वितरण, इनपुट की अनुपलब्धता जैसे विद्युत, यातायात, कोयला, इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि इकाई के आन्तरिक कारक प्रबन्धन के नियंत्रण में होते हैं यह हैं – दोषपूर्ण योजना, योजनाओं का विलम्बित एवं त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन, सूची विनिमय एवं लागत की कमी, गलत स्थल का चयन,

IEDUP लेखा का त्रुटिपूर्ण प्रबन्धन इत्यादि। रूग्णता के कारण इकाई की साइज, क्षेत्र एवं उत्पाद के अनुसार पृथक–पृथक होते हैं वस्तुतः यह प्रत्येक इकाई के लिये सविशेष या स्पेसिफिक होते हैं।

कोई भी इकाई तभी रूग्ण होती है, जब यह पर्याप्त नगद अतिरेक उत्पन्न नहीं कर पाती है जिसके फलस्वरूप उसकी सकल पूँजी या नेटवर्थ धीरे–धीरे गिरने लगता है। आन्तरिक नगदी का उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण सूचकांक होता है तथा किसी भी इकाई की रूग्णता का सर्वप्रथम विश्लेषण यहीं से होता है। आन्तरिक नगदी में गिरावट के अनेकों कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत् हैं –

01. उत्पादन में गिरावट
    - उत्पादन की समस्या
    - क्रय आदेशों की कमी/बिक्री की समस्या
    - कच्चेमाल की कमी
02. त्रुटिपूर्ण नगदी प्रबन्धन/अनुत्पादी व्यय
03. उत्पादन लागत में वृद्वि
04. उपभोक्ता द्वारा भुगतान में विलम्ब

रूग्णता के अनेकों कारक हो सकते है परन्तु मूल कारण है– लगातार नगदी की हानि। इस प्रकार इकाई अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं कर पाती जिससे उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों जैसेः– कच्चे माल की आपूर्ति में कमी होने लगती है, उत्पादन की गुणवत्ता और बिक्री गिरती है। साथ ही इकाई ऐसी स्थिति में अनुत्पादक चीजों में व्यय तथा त्वरित व्ययों के कारण अपनी दीर्घावधि देयताएँ बढ़ाती जाती है। ऐसी इकाई निम्न उत्पादन स्तर पर कार्य करने लगती है, और अपने बाजार/उपभोक्ता पर नियंत्रण भी खोने लगती है तथा कालान्तर में लाभ संभाव्यता खो देती है, और रूग्ण हो जाती है।

(फ्लो चार्ट)

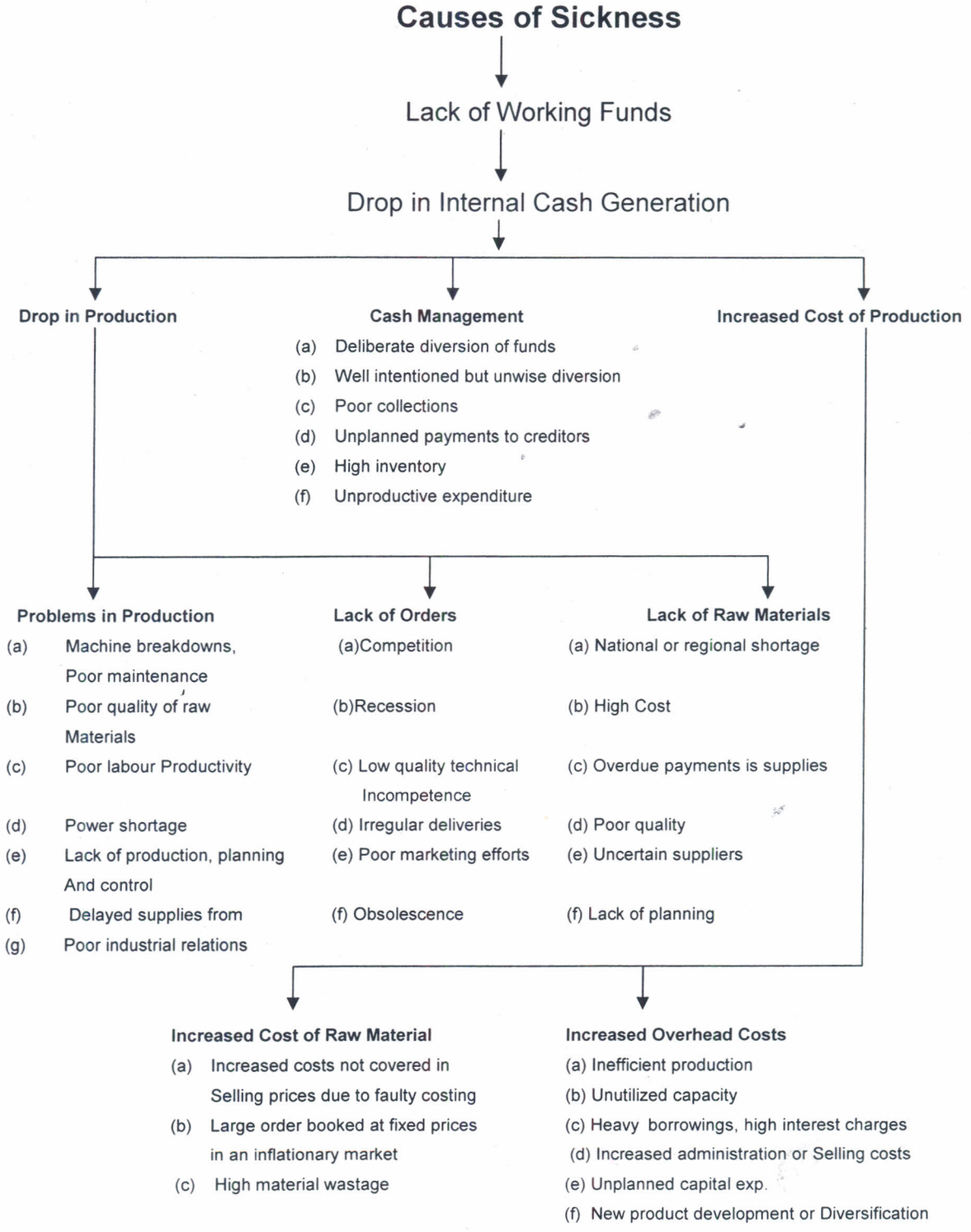

Causes of Sickness

↓

Lack of Working Funds

↓

Drop in Internal Cash Generation

↓

Drop in Production

Cash Management

(a) Deliberate diversion of funds
(b) Well intentioned but unwise diversion
(c) Poor collections
(d) Unplanned payments to creditors
(e) High inventory
(f) Unproductive expenditure

Increased Cost of Production

Drop in Production →

Problems in Production

(a) Machine breakdowns, Poor maintenance
(b) Poor quality of raw Materials
(c) Poor labour Productivity
(d) Power shortage
(e) Lack of production, planning And control
(f) Delayed supplies from
(g) Poor industrial relations

Lack of Orders

(a)Competition
(b)Recession
(c) Low quality technical Incompetence
(d) Irregular deliveries
(e) Poor marketing efforts
(f) Obsolescence

Lack of Raw Materials

(a) National or regional shortage
(b) High Cost
(c) Overdue payments is supplies
(d) Poor quality
(e) Uncertain suppliers
(f) Lack of planning

Increased Cost of Production →

Increased Cost of Raw Material

(a) Increased costs not covered in Selling prices due to faulty costing
(b) Large order booked at fixed prices in an inflationary market
(c) High material wastage

Increased Overhead Costs

(a) Inefficient production
(b) Unutilized capacity
(c) Heavy borrowings, high interest charges
(d) Increased administration or Selling costs
(e) Unplanned capital exp.
(f) New product development or Diversification

रूग्णता की पहचान एवं संकेत

रूग्णता के संकेत

इकाई के रूग्णता के अनेक संकेत होते हैं। जिन्हें निम्नलिखित स्रोतों से जाना जा सकता है:–

(1). स्टाक निरीक्षण,
(2). बैंक बही खाता,
(3). उधारकर्ता से वार्ता,
(4). बाजार रिपोर्ट,
(5). वित्तीय स्टेटमेन्ट इत्यादि।

साधारणतः बैंक/वित्तीय संस्थायें इन्हीं संकेतों के माध्यम से रूग्णता का अध्ययन करती हैं।

(1) स्टाक निरीक्षण

उधारकर्ता के स्टाक स्टेटमेन्ट को स्टाक रजिस्टर से तुलना करने पर इकाई द्वारा घोषित स्टाक (भण्डार) की स्थिति का आकलन बैंक द्वारा किया जाता है। भण्डार स्टेटमेन्ट एवं स्टाक रजिस्टर में किसी भी प्रकार की भिन्नता इस बात का संकेत देती है कि इकाई के स्टाक में कमी है। बड़े उधारकर्ता के स्टाक निरीक्षण में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होते हैं–

- इकाई परिसर में रखा भंडार।
- विक्रय डिपो के रूपान्तरण अथवा प्रशोधन के लिए बाहर भेजे गये स्टाक की स्थिति।
- स्टाक जो ट्रान्जिट की स्थिति अथवा उत्पादन प्रक्रिया में हैं।

स्टाक के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त निम्नलिखित कारक भी महत्वपूर्ण हैं –

- कच्चे माल का क्रय मूल्य जैसा बिलों में दर्शाया गया है।
- उत्पादन प्रबन्धक द्वारा सत्यापित प्रक्रिया की दशा एवं निर्मित माल की स्थिति।
- इकाई का मूल्य निर्धारण एवं स्टाक मूल्यांकन की प्रक्रिया।

स्टाक लागत एवं स्टाक स्टेटमेन्ट में भिन्नता तथा लेखा पुस्तकों में भिन्नता इस बात का संकेत देती है कि स्टाक में हेराफेरी की गयी है।

(1). स्टाक का भौतिक सत्यापन इस बात का संकेत देता है कि ऋण का अन्तिम उपयोग ठीक किया गया है अथवा नहीं। यदि स्टाक अपर्याप्त है तो दर्शाता है कि धन का उपयोग उद्देश्यपूर्ण नहीं है।

IEDUP (2). यदि इकाई के डिपों में रखा सामान इकाई के उत्पाद के अनुसार नहीं है अथवा निर्धारित मात्रा से अधिक है तो संकेत प्राप्त होते है कि इकाई द्वारा उत्पादन न कर अन्य कार्य या व्यापार किया जा रहा है।

(3). यदि स्टाक स्टेटमेन्ट जानबूझकर लम्बे समय से वित्तीय संस्था से सत्यापित नहीं करवाया गया है तो संकेत प्राप्त होते है कि स्टाक पर्याप्त मात्रा में नहीं रखा गया है।

(4). यदि इकाई द्वारा समान स्टाक के लिए दो वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया गया है तो यह दर्शाता है कि इकाई पारदर्शितापूर्वक कार्य नहीं कर रही है।

(5). स्टॉक की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कठिन है। यदि काफी समय से निर्मित माल का कोई भी आवागमन नहीं हो रहा तो संकेत मिलते है कि कच्चे माल की गुणवत्ता भी खराब है। हो सकता है कि बिक्री बजार में इकाई की साख गिर गई हो।

(2) बैंक बहीखाते का अध्ययन

1. किसी भी बैंक खाते में खराब टर्नओवर दर्शाता है कि बिक्री किसी अन्य माध्यम अथवा अन्य बैंक से की गई है अथवा नहीं। इस दशा में बैंक अधिकारी अपने स्तर से विश्लेषण करता है क्योंकि यह स्थिति धन का दुरूपयोग प्रदर्शित करती है।

2. इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं बड़ी धनराशि के चेक, पोस्ट डेटेड चेक एवं अन्य चेक बार–बार किसी एक अथवा अन्य फर्म/संस्था अथवा व्यक्ति के नाम निर्गत तो नहीं है जो व्यवसाय से जुड़ा नहीं है। इस संबंध में ऋणकर्ता से वार्ता कर स्थिति को जाना जा सकता है तथा इसके निराकरण हेतु सुझाव एवं कार्यवाही सम्भव है।

3. ऋण खाते के द्वारा किसी भी व्यवसाय के भुगतान की स्थिति को जाना जा सकता है। कितनी बार ऋणकर्ता के उत्पाद को निरस्त (रिजेक्ट) किया गया अथवा क्रेता द्वारा कितना भुगतान सीधे ऋणकर्ता को दिया गया आदि की जानकारी खाते के द्वारा की जा सकती है, जब भी बिल बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं तो इसकी सूचना बैंक को कारण सहित दी जानी चाहिए।

4. यदि लम्बे समय तक भुगतान की प्रक्रिया में अनियमितता पायी जाती है तो यह स्थिति दर्शाती है कि इकाई का आउटफ्लो – इनफ्लो से अधिक है।

5. यदि बैंक खातों में विगत एक वर्षों से कोई भी लेन–देन नहीं किया गया तो यह दर्शाता है कि इकाई ने कार्य करना बन्द कर दिया है। इस स्थिति में बन्द पड़े खाते का विश्लेषण अपरिहार्य हो जाता है।

6. विगत एक वर्षों के दौरान की गई लेन–देन की स्थिति इकाई के रूग्ण होने का संकेत देती है। यदि वास्तविक धन की निकासी व्यापार से संबंधित नहीं है तो ऐसा

माना जाता है कि अन्यान्य कारणों से इकाई को ज्यादा धन की जरूरत होती है। इससे इकाई के रूग्ण होने के संकेत प्राप्त होने लगते हैं।

(3) ऋण लेने वाली इकाई से वार्ता

इन पहलुओं पर भी प्राइमरी लेण्डर (बैंक) द्वारा ऋणकर्ता से वार्ता कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है यदि निम्नलिखित संकेत प्राप्त होते हैं तो उस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है–

1. मशीन एवं उपकरण में बड़ी खराबी
2. कारीगरों की हड़ताल
3. प्रबन्धन में परिवर्तन
4. निदेशक/साझेदारों की बीमारी अथवा मृत्यु
5. निदेशक/साझेदारों में मतभेद
6. इकाई/बोर्ड का पुर्नसंरचना
7. बार–बार बैंक सीमा को बढ़ाने का अनुरोध
8. अन्य बैंकों से लेन–देन के प्रयास

(4) बाजार रिपोर्ट

बाजार रिपोर्ट में निम्न कारणों का भी विश्लेषण रूग्णता के संकेतों को दर्शाता है–

1. उद्योग में अवमूल्यन/ह्रास
2. इनपुट अवयवों की नकारात्मक स्थिति
3. इकाई की असन्तोषजनक रिपोर्ट
4. मूल्य में एकाएक गिरावट
5. आयात/निर्यात/मूल्य निर्धारण इकाई में सरकारी नीतियों के कारण परिवर्तन

(5) वित्तीय स्टेटमेन्ट एवं अन्य डाटा

निम्नलिखित तथ्यों का भी आंकलन कर रूग्णता के संकेतों को चिन्हित किया जा सकता है–

1. लाभ में असन्तोषजनक स्थिति
2. लेखा पुस्तकों में ऋण में वृद्धि
3. कार्यशील पूंजी की कमी
4. इक्विटी की असन्तोषजनक स्थिति
5. अल्पावधि फण्ड का परिवर्तन दीर्घावधि फण्ड हेतु
6. गैर उत्पादक पूँजी का निर्माण
7. लेखा पुस्तकों का त्रुटिपूर्ण रखरखाव

चैप्टर – 02

रूग्ण इकाई
परिभाषा, प्रक्रिया एवं पुनर्वासन पैकेज

1. रूग्ण ईकाईयों की परिभाषाः

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित पत्र संख्याः RPCD.Co.MSME & NFS.Be.04 / 06.02.31/ 2012-13 November 01, 2012. के अनुसार)

लघु उद्योग इकाई की परिभाषा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपने परिपत्र नवम्बर, 2012 के अनुसार–

(अ). इकाई का ऋण खाता जो विगत तीन माह अथवा अधिक समय से एन0पी0ए0 (नान परफारमिंग एसेट) बना हुआ हो।

अथवा

पिछले लेखा वर्षों के दौरान उसके पीक नेटवर्थ में 50 प्रतिशत से अधिक अपक्षरण (Erosion) हुआ हो।

02. जानबूझकर किये गये रूग्ण इकाई की परिभाषा

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित पत्र संख्याः RPCD.Co.MSME & NFS.Be.04 / 06.02.31/ 2012-13 November 01, 2012 के अनुसार)

ऐसी इकाईयां जो जानबूझकर किये गये कुप्रबंधन जानबूझकर किये गये डिफाल्ट, अनाधिकृत रूप से धन का diversion साझेदारों के मध्य disputes के कारण रूग्ण होती हैं। नियमानुसार रूग्ण घोषित किये जाने के योग्य नहीं होगी तथा इन्हें किसी भी प्रकार की राहत अथवा पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी इकाईयों से बैंक अपने ऋृण की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

2.1 पर्याप्त नगद आय अथवा अच्छी नेटवर्थ होते हुए भी वकाया धनराशि का जानबूझ कर भुगतान न करना।

2.2 भ्रामक /झूठे अभिलेख बनाना

2.3 वित्त पोषित सम्पति क्रय नहीं की गयी अथवा विक्रय कर दी गई एव विक्रय धनराशि का दुरूपयोग कर लिया गया।

2.4 सम्पत्तियों का बैंक को सूचना के बिना बेचना/हटना

2.5 ऋृण से प्राप्त धन का diversion करना।

IEDUP

3.0 रूग्ण इकाई हेतु पुनर्वासन प्रक्रिया एवं समय सीमा

3.1 जनपद स्तरीय पुनर्वासन समिति, प्रक्रिया एवं समय सीमाः

जो **सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाई** उपरोक्त परिभाषा के अनुसार अपनी इकाई को रूग्ण घोषित कराना चाहती है, उसे अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप (हरा प्रपत्र–सूक्ष्म इकाई, पीला प्रपत्र–लघु इकाई) पर **महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।** इस स्तर पर रूग्णता समिति में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, प्राइमरी लेण्डर (बैंक/वित्तीय संस्था) एवं चार्टेड वित्तीय विश्लेषक होंगे तथा औद्योगिक एशोसिएशन के प्रतिनिधि को समिति उद्यमी के लिखित अनुरोध पर आमंत्रित कर सकती है।

ईकाई अपने आवेदन पत्र के साथ–साथ विगत तीन वर्षों की चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सपेक्षित बैलेंसशीट जमा करेगी। जनपद स्तरीय समिति अपनी संस्तुति के साथ सम्बन्धित प्रस्ताव परिक्षेत्रीय/संयुक्त निदेशक उद्योग को प्रेषित करेंगी।

इस प्राप्त सूचना के आधार पर प्राइमरी लेण्डर, महाप्रबधक, जिला उद्योग केन्द्र, एवं समिति के अन्य सदस्य आवेदन पत्र का परीक्षण कर 15 दिन के भीतर अपनी विस्तृत राय परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग एवं क्षेत्रीय बैंक कार्यालय को प्रेषित करेगे साथ ही इस सूचना को पोर्टल (प्रस्तावित) पर भी अपलोड करेंगे।

परिक्षेत्रीय अधिकारी/अपर संयुक्त निदेशक, उद्योग प्राप्त प्रस्ताव को मण्डलीय स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष रखेंगे। इस समिति में सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक भी सदस्य होंगे तथा इकाई के प्रस्ताव को महाप्रबन्धक प्रस्तुत करेंगे।

यदि इकाई की कुल लागत रू0 5.00 लाख तक है तो इकाई स्वयं (प्रमोटर) द्वारा प्रमाणित बैलेंसशीट प्रस्तुत करेगीं, यदि रू0 5.00 लाख से अधिक है तो चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सपेक्षित बैलेंसशीट प्रस्तुत करेगी। आवेदन पत्र की एक प्रति प्राइमरी लेण्डर (बैंक/सम्बन्धित वित्तीय संस्था) को भी जमा की जाएगी।

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति से प्राप्त संस्तुति के उपरान्त इकाई को **"रूग्णता प्रमाण पत्र" निर्गत** करेंगे। साथ ही जिस तिथि से इकाई को रूग्ण घोषित किया जायेगा उसी तिथि से इकाई की समस्त देनदारियों को स्थगित करते हुए "पुनर्वासन पैकेज" बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।**तीन माह आर0बी0आई0 द्वारा घोषित एन0पी0ए0 अवधि तथा एक माह आवेदन प्रक्रिया एवं रूग्णता प्रमाण–पत्र निर्गमन एवं दो माह पैकेज तैयार करने की अवधि होगी। इस प्रकार 06 माह में पुनर्वासन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।**

यदि किसी तर्क संगत कारणों से मंडल स्तरीय पुनर्वासन समिति की बैठक किसी माह आयोजित न की जा सकी तथा रूग्णता प्रमाण–पत्र जारी करने में विलम्ब संम्भव है, तो रूग्णता प्रमाण–पत्र में विलम्ब की अवधि को सम्मिलित कर निर्धारित तिथि से समस्त देनदारियां स्थगित कर दी जायेंगी।

महाप्रबन्धक द्वारा रूग्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ पुर्नवासन पैकेज हेतु नामित संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्ताव परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग के माध्यम से, मण्डल स्तरीय पुर्नवासन समिति के समक्ष प्रेषित किया जाएगा।

समयबद्व निस्तारण हेतु इन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा उद्योग निदेशक एवं आयुक्त के स्तर पर भी मासिक समीक्षा के रूप में की जायेगी।

IEDUP

4.0 मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति, कार्य, समय सीमा एवं प्रक्रिया :

समिति :

रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में होगी तथा यह मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति कहलायेगी। इस समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे–

क. शासन द्वारा नामित एम0एस0एम0ई0 का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन का प्रतिनिधि।
ख. प्राइमरी लेण्डर/वित्तीय संस्था का क्षेत्रीय अधिकारी
ग. ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, कर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी
घ. चार्टेड वित्तीय विश्लेषक
च. अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग (सदस्य सचिव)
छ. सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित प्रकरण का प्रस्तुतीकरण किया जाय।

समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी इसके लिये पृथक से शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मण्डल स्तरीय समिति बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाये गये पुनर्वासन पैकेज पर विचार करके सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में निर्णय लेगी। पुनर्वासन पैकेज बनाने वाली समिति में बैंक/वित्तीय संस्था के अतिरिक्त एक चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक की भी सहायता प्राप्त की जायेगी जिससे पैकेज तैयार करने में पारदर्शिता लायी जा सके।

4.1 समिति का कार्य

(क) महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तथा परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा संस्तुत इकाइयों के पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु वित्तीय संस्था का निर्धारण करना।
(ख) पुनर्वासन के लिये योग्य इकाइयों के पुनर्वासन पैकेज दो माह के अन्दर तैयार करना होगा।
(ग) शासन द्वारा रूग्ण इकाइयों हेतु निर्धारित ऐसी सुविधाओं को प्रदान करना जिनके भविष्य में अधिकार इस समिति को प्रतिनिधानित किये गये हैं।
(घ) पुनर्वासन पैकेज को स्वीकार कर क्रियान्वित कराना।
(ड.) रूग्णता के लक्षण प्रदर्शित कर रही ऐसी इकाइयों की रोकथाम आर.बी.आई. की हैण्ड होल्डिंग प्रक्रिया के तहत इस प्रकरण को समिति के संज्ञान में लाया जायेगा। आर0बी0आई0 के निर्देशानुसार बैंकों द्वारा इस संबंध में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट की नियमित समीक्षा भी की जाए।
(च) अन्य कोई मद जो योजना के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु आवश्यक हों।

4.2 अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः

समिति अपनी मासिक बैठक में मण्डल के विभिन्न जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों तथा परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग के द्वारा इकाईयों को रूग्ण घोषित करने हेतु की गई संस्तुतियों का परीक्षण करेगी। रूग्ण घोषित इकाईयों को देय सुविधाएं मण्डल स्तरीय समिति द्वारा रूग्ण घोषित कर दिये जाने के दिनांक से लागू होंगी। समिति के द्वारा रूग्ण घोषित की गई इकाइयों के पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु किसी एक वित्तीय संस्था/बैंक को (आपरेटिंग एजेन्सी), चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक नामित किया जाएगा ऐसी वित्तीय संस्था/बैंक को ही आपरेटिंग एजेन्सी नामित किया जाएगा जो रूग्ण घोषित की गई इकाई का प्राइमरी लेन्डर हो। संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक आपरेटिंग एजेन्सी तथा चार्टेड वित्तीय विश्लेषक निर्धारित किये जाने के दो माह के भीतर परीक्षणोपरान्त या तो कारण सहित यह इंगित करेगी कि रूग्ण इकाइयों का पुनर्वासन सम्भव नहीं है अथवा पुनर्वासन सम्भव है तो इसी दो माह की अवधि के भीतर पुनर्वासन पैकेज बनाते हुए इस समिति के समक्ष आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा पुनर्वासन की सम्भावनाओं का परीक्षण एवं पैकेज बनाये जाने की कार्यवाही का अनुश्रवण मण्डल में नियुक्त

अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग सुनिश्चित करेंगे। **विवेकानुसार परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग के अनुरोध पर मण्डल स्तरीय आपात बैठक बुलाई जा सकती है।**

चार्टेड वित्तीय विश्लेषक के परामर्श शुल्क पर आने वाला व्यय पैकेज तैयार करते समय परामर्श शुल्क की धनराशि को जोड़कर बनाया जायेगा तथा इसका भुगतान पुनर्वासन पैकेज के तहत किया जायेगा।

4.2.1 जिन संस्थाओं/बैंकों द्वारा पुनर्वासन पैकेज तैयार करने अथवा अपेक्षित सुविधाओं के बारे में अपनी सहमति देने के बारे में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है के बारे में मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति उद्योग निदेशक के माध्यम से राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति को संदर्भित करेगी। राज्य स्तरीय Empowered Committee के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, लघु उद्योग होंगे साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं अन्य सम्बंधित विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

4.2.2 यदि मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के द्वारा किसी इकाई को पुनर्वासन योग्य/रूग्ण घोषित करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी इकाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति के समक्ष निदेशक उद्योग के माध्यम से एक माह के अन्दर अपील कर सकती है।

5.0 राज्य स्तरीय समिति

राज्य स्तरीय स्टैण्डिग कमेटी के कार्य का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं क्षेत्रीय निदेशक, आर0बी0आई0 की सह अध्यक्षता में गठित Empowered Committee/SLIIC को प्रदान किया जाता है। इस समिति में संयोजक बैंक द्वारा विचाराधीन पैकेज की आवश्यकतानुसार ऊर्जा, कर एवं निबन्धन, आवास एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार अन्य विभाग/संस्थाओं तथा बैंकों के प्रतिनिधियों को भी कमेटी की बैठक में बुलाया जा सकता है। उक्त प्रस्तावित **राज्य स्तरीय** Empowered Committee/SLIIC मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के कार्य कलापों का प्रत्येक माह पूर्व निर्धारित दिवस पर अनुश्रवण करेगी तथा साथ ही साथ मण्डल स्तरीय समितियों द्वारा शासन को संदर्भित मामलों में निर्णय करेगी। इसके अलावा जो सुविधाएं राज्य स्तर पर इकाइयों को उपलब्ध कराई जानी है, पर भी निर्णय लेगी। संदर्भ–संशोधित पत्रांकः 2181/18.2.2011–77 (23)/90 दिनांक 13.12.2012 भारतीय रिजर्व बैंक।

6.0 पुनर्वासन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा दिये जाने वाला पैकेज

6.1 पुनर्वासन योग्य रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को सुविधाएं

यदि किसी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासन योग्य मानते हुए पुनर्वासन पैकेज बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाती है तो रूग्ण घोषित किये जाने की तिथि से 02 माह तक पुनर्वासन पैकेज बनाने की अवधि के दौरान किसी भी विभाग के द्वारा उस इकाई के विरूद्ध कोई उत्पीडन कार्यवाही नही की जाएगी। यदि दो महीने के भीतर पुनर्वासन पैकेज तैयार नहीं हो जाता है तो आपरेटिंग एजेन्सी/प्राइमरी लेण्डर के इकाई पर बकाये की वसूली पुनर्वासन पैकेज के तैयार होने तक स्थगित रहेगी तथा विलम्ब का कारण प्रत्येक माह मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

6.2. बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जा सकने वाली सहायता और छूटः

"Non discretionary one time settlement scheme recovery हेतु ऐसे Non Performing Loan (MSME) हेतु तैयार कर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से अनुमोदन प्राप्त करेगी जैसा **Circular No.** RPCD, SME & NFS.Bc.No. 102/06.04.01 दिनांक 04 मई, 2009 में वर्णित है। एकमुश्त समाधान योजना का प्रचार–प्रसार बैंकों द्वारा अपने वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से किया जायेगा। बैंक लाभान्वित होने वाली इकाई को उचित समयावधि प्रदान करेगा जिससे इकाई अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। एकमुश्त समाधान योजना हेतु बैंक अपने जिला स्तरीय/मण्डल स्तरीय/क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को शक्तियॉ प्रदान करेगी जिससे अनावश्यक विलम्ब को समाप्त किया जा सके। प्राइमरी लेण्डर जो भी वित्तीय पैकेज तैयार करेगी वह समस्त आर.बी.आई. द्वारा पूर्व में निर्धारित कम्पोनेन्ट को आधार बना कर तैयार किये जायेंगे। विभिन्न कम्पोनेन्ट निम्न प्रकार से हैं–

IEDUP

01. उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा वित्त पोषित रूग्ण इकाईयों हेतु उनके आदेश संख्याः FC/PMC/2013-13 दिनांक 24.05.2012 के सर्कुलर 6/2012–13 के अनुसार "एकमुश्त समाधान योजना" (ओ0टी0एस0) हेतु गाइड–लाइन्स बनाई गई है।
02. सहायता और छूट जो कि संभावित वृद्धि वाले रूग्ण लघु उद्यम इकाईयों के पुनर्वास के अर्न्तगत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। रूग्ण लघु उद्यम इकाइयों की संभाव्यता और पुनर्वास मुख्यतः ईकाई की लगातार अपने ऋणों के पुनः भुगतान तथा पुराने ऋणों की क्षमता पर निर्भर करता है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दिशा निर्देश के इंगित सीमा के अतिरिक्त साधारणतया पुराने ऋणों तथा ब्याज दरों में कोई कमी नहीं होती है सहायता और छूट पर विभिन्न दिशा निर्देश नीचे दिये गये हैं–

6.2.1 कैश केडिट और टर्म लोन पर ब्याज

यदि दण्ड से संबंधित ब्याज दर अथवा नुकसान की भरपाई की जाती है तो ये भरपाई इस वित्तीय वर्ष से Wave Off की जायेगी जिसमें इकाई को लगातार नकद नुकसान हुआ है। इसके पश्चात् इस अवधि के कैश क्रेडिट और टर्म लोन पर बचे हुए ब्याज को कुल दायित्वों और दिये गये अनुदान से पृथक कर वित्त पोषण दिया जायेगा। वित्त पोषण ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा तथा वित्त पोषण पर पुनः भुगतान पुनर्वास कार्यक्रम के लागू होने की तिथि के तीन वर्षों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

6.2.2 असमायोजित ब्याज देनदारियॉ

असमायोजित ब्याज देनदारियों जो पुनर्वासन योजना के बनाये जाने की तिथि से इसके वास्तव में लागू होने की तिथि के समयान्तराल में दिये जायेंगे उन पर भी निर्देश 6.2.1 के दिशा निर्देशानुसार फण्ड प्रदान किया जायेगा।

6.2.3 टर्म लोन

जहॉ आवश्यक हो, टर्म लोन पर ब्याज दर भी घटाई जा सकेगी परन्तु प्रचलित व्याज दरों से नीचे अति सूक्ष्म/असंगठित सेक्टर की ईकाइयों के संबंध में तीन प्रतिशत तथा अन्य लघु उद्यम इकाईयों के संबंध में दो प्रतिशत की सीमा तक ही घटाई जा सकेगी।

6.2.4 कार्यशील पूॅजी सावधि ऋण (डब्लू0सी0टी0एल0)

उपरोक्त 6.2.1 व 6.2.2 के अनुसार नकद साख लेखा का असमायोजित ब्याज अंशदान पृथक करने के उपरान्त अवशेष मूल प्रत्यावेदन देय अनियमित मान्य होगा जहां तक आहरण अधिकार से अधिक है। यह धनराशि कार्यशील पूॅजी सावधि ऋण कोष हो सकती है जिसकी पुनर्भुगतान समय सारिणी 05 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। सभी बीमार लघु उद्योग इकाईयां अतिसूक्ष्म व विकेन्द्रीकरण इकाईयां सहित के लिए ब्याज दर प्रचलित निर्धारित दरें/प्रधान शुल्क दर से 1.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक नीचे लागू हो सकती है।

6.2.5 नकद घाटे

घाटे प्रायः पुनर्वास की प्राथमिक अवस्था में, जब तक कि इकाई सम–साम्य अवस्था तक पहुॅचती है, नकद घाटे हो सकते हैं। इस प्रकार के नकद घाटे (ब्याज के अतिरिक्त) जो कि नर्सिंग कार्यक्रम के दौरान हुए हों, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित किये जा सकते हैं। यदि इनमें से केवल एक ही वित्त पोषक हो। परन्तु यदि पुनर्वास में दोनों शामिल हैं तो केवल संबंधित वित्तीय संस्थान द्वारा ही वित्त पोषण किया जायेगा। ब्याज की दर सिडबी द्वारा पुनर्वास वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ही चार्ज किया जायेगा।

इस संबंध में भविष्य के नकद घाटे पैकेज के कियान्वयन समय में होने वाले घाटों से संदर्भित होंगे जब तक अनुमानित सम–साम्य बिन्दु प्राप्त नहीं होता है। भविष्य में नकद घाटे, कार्यशील पूॅजी पर ब्याज जो कि बैंक को देय हो, के अतिरिक्त होंगे एवं वित्तीय संस्था (यदि वित्तीय सस्था इकाई की वित्त पोषक है) द्वारा वित्त पोषित किये जायेंगे। अर्थात् भविष्य में नकद घाटे के आंकलन में बैंक को

देय ब्याज, भविष्य के नकद आकलन में जाना चाहिए न कि वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित किये जाने वाले मद में। बैंक को देय ब्याज पृथक से पोषित होना चाहिए, जहॉ वाणिज्य बैंक अकेली वित्तदाता है वहॉ भविष्य के नकद घाटे ब्याज सहित बैंक के द्वारा वित्त पोषित होंगे।

6.2.6 कार्यशील पूंजी

नकद घाटे/कोष के कोषीय धनराशि पर, ब्याज पुनर्वास सहायता के अर्न्तगत होंगे। जो सिडबी द्वारा निर्धारित दर पर होगा।

कार्यशील पूंजी पर निर्धारित प्राइम (जो भी लागू हो) उसे 1.5 प्रतिशत कम पर ब्याज लिया जायेगा। अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की सीमा, पीएलआर की सीमा दर तक बढ़ाई जा सकती है।

6.2.7 आकस्मिक ऋृण सहायता

पुनर्वास कार्यक्रम के अर्न्तगत पूंजीगत व्ययों की लागत में वृद्धि को आवश्यक होने पर बैंक/वित्तीय संस्था अनुमानित लागत का 15 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता (उपयुक्तता के आधार पर) आकस्मिक ऋृण सहायता के रूप में दे सकती है। इस ऋृण पर ब्याज दर कार्यशील पूंजी पर लगाई गई रियायती दर पर ली जा सकती है।

6.2.8 प्रारंभिक व्यय एवं कार्यशील पूंजी की मार्जिन मनी हेतु राशिः

पुनर्वास की जाने वाली इकाई को कार्य प्रारंभ करने हेतु होने वाले व्यय (उधार चुकाने), कार्यशील पूंजी की मार्जिन राशि आदि के लिए लम्बी अवधि के ऋृण की आवश्यकता होगी। जहां पर वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी न हो वहां पर बैंक प्रारम्भिक व्यय हेतु ऋृण दे सकते हैं एवं मार्जिन राशि हेतु सहायता सिडबी की रिफाइनेन्स स्कीम फार रिहैबिलिटेशन अथवा जहां राज्य सरकार की मार्जिन मनी स्कीम चल रही हो, के माध्यम से सहायता दी जा सकती है। पुनर्वास हेतु दिये जा रहे नवीन ऋृण पर प्रचलित ब्याज दर, प्राइम ऋृण दर, सिडबी अथवा नाबार्ड की निर्धारित से 1.5 प्रतिशत चार्ज किया जा सकता है। **ब्याज दरों में रियायत, इकाई की वार्षिक परफार्मेन्स की समीक्षा पर आधारित होगी।**

6.2.9 प्रवर्तक का अंश :

रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स के अनुसार पुनर्वास पैकेज में प्रवर्तक का अंश अतिरिक्त दीर्घ कालीन आवश्यकताओं का सूक्ष्म इकाइयों हेतु 10 प्रतिशत एवं अन्य के लिए 20 प्रतिशत निर्धारित है। विकेन्द्रित क्षेत्र की इकाईयों के लिए प्रवर्तक के अंश पर जोर नहीं भी दिया जा सकता है। पुनर्वास कार्यक्रम में प्रवर्तक के अंश को वर्तमान सीमा से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को छूट है और वे प्रवर्तक अंश में वृद्धि कर सकते हैं।

पुनर्वास व्यवस्था में प्रमोटर्स को 50 प्रतिशत योगदान तत्काल अपनी ओर से करना होगा तथा शेष आगामी 06 माह में प्रमोटर्स के योगदान की गणना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं या सरकार की हानि धनराशि की गणना की जानी होगी। इस गणना के अतिरिक्त दीर्घकालीन कोष की व्यवस्था पुनर्वास पैकेज में की जानी है। पैकेज तैयार करने के दौरान प्रमोटर्स का योगदान निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत लाना आवश्यक होगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न छूट एवं सहायता प्रदान करते हुए स्वीकृति पत्र में **'प्रतिदान का अधिकार'** के अन्तर्गत यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बीमार इकाईयों के पुनर्वासन के माध्यम से सफल होने पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वहन किये गये तथा होने वाली हानि के सन्दर्भ में अण्डरटेकिंग देनी होगी जिसके अनुसार पुर्नवासित इकाई द्वारा अर्जित लाभ एवं नकद प्राप्तियों से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

6.3 वाणिज्य कर विभागः

व्यापार कर अधिनियम की धारा 38(1) एवं वैट अधिनियम की धारा 71 की उपधारा के अन्तर्गत सेक्शन 33(1) एवं (2), एवं सेक्शन 39(1)एवं (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधान किया गया है –

***"an authorized body constituted by the Cental Government or the State Government in connection with the rehabilitation of sick industrial units and is approved for rehabilitation by an approved agency, appointed by the Central or the State Government"** इन प्राविधानों द्वारा प्रश्नगत प्रकरणों में राज्य सरकार को वर्तमान मूल्य संबर्द्धित कर प्रणाली में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है।*

6.3.1 व्यापार कर की वर्तमान व भावी देयों के संबन्ध में रू. 10.00 लाख की सीमा तक 05 वर्षों के लिये आस्थगन (इसकी वसूली उक्त अवधि की समाप्ति पर अगले 05 वर्षों में वार्षिक किश्तों में की जायेगी) के संबंध में निर्णय मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति द्वारा लिया जाएगा। समिति तद्नुसार संस्तुति राज्य सरकार के लघु उद्योग विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगी तथा शसन स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किये जायेगे।

6.3.2 रू. 10.00 लाख के ऊपर रू. 1.00 करोड़ की सीमा तक मूल्यवर्द्धित कर (वैट) के वर्तमान भावी देयों के संबंध में आस्थगन की सुविधा 05 वर्ष के लिये (इसकी वसूली उक्त अवधि की समाप्ति कर अगले 05 वर्षों में वार्षिक किश्तों में की जायेगी) दिये जाने का अधिकार राज्य स्तरीय अन्तरसंस्थागत समिति को होगा। राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार के लघु उद्योग विभाग द्वारा औपचारिक आदेश संस्थागत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे।

6.3.3 ***मूल्यवर्द्धित कर (वैट) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्राविधानित नियम लागू होंगे।***

6.4 ऊर्जा विभागः

उ0प्र0 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 के संदर्भ खण्ड 6.16 में वर्णित रूग्ण इकाई (विशेष उपवन) अधिनियम 1985 के अनुसार बेरोजगारी निवारण के लिये विशेष प्राविधान अधिनियम 1966 के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 33 के0वी0ए0 से ऊपर इकाईयों के पुर्नवासन हेतु बी0आई0एफ0आर0 द्वारा पैकेज को लागू करती है।
रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों हेतु 33 के0वी0ए0 के नीचे की इकाईयों हेतु उ0प्र0 विद्युत नियामक बोर्ड की सहमति ली जानी होगी।

6.4.1 रूग्ण इकाईयों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायेगा, किन्तु यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी जब संबंधित फीडर स्वतंत्र हो व उक्त सुविधा का प्राविधान पुनर्वासन पैकेज में किया गया हो।

6.4.2 रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो पुनर्वासन पैकेज तैयार किये जायेंगे उसी आधार पर इकाई से यदि इकाई कार्यरत है तो रूग्ण घोषित होने की तिथि से रूग्णता की अवधि मिनिमम कन्जम्पशन गारंटी के प्राविधान को शिथिल करते हुये स्वीकृत भार चार्ज तथा विद्युत युनिट के वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल निर्गत किये जायेंगे। पुनर्वासन पैकेज निर्धारित होने पर मिनिमम कन्जम्पशन गारंटी से मुक्त करने के संबंध में जो निर्णय लिया जाये उसके अनुसार वसूली हेतु किश्तें निर्धारित की जायेगी।

6.4.3 यदि इकाई बंद है तो बंद रहने के अंतराल हेतु मिनिमम कन्जम्पशन गारंटी से मुक्त रखे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी, यदि वह पुनर्वासन पैकेज का अंश हो।

6.4.4 यदि पुनर्वासन पैकेज में इस आशय की व्यवस्था हो तो बंदी के बाद विद्युत पुनः स्थापित करने हेतु रूग्ण इकाई से सिस्टम लोडिंग चार्जेज नहीं लिये जायेगें।

6.4.5 वर्तमान विद्युत देयों का भुगतान किया जायेगा, पिछले बकाया विद्युत देयों की वसूली इकाई रूग्ण घोषित होने की तिथि से पुनर्वासन पैकेज की स्वीकृति तक वसूली स्थगित रहेगी, तदुपरान्त पिछले बकायों की वसूली पैकेज के अर्न्तगत निर्धारित किश्तों में की जायेगी।

6.4.6 इकाई के बन्द होने पर रूग्ण घोषित होने की तिथि से पुनर्वासन पैकेज की स्वीकृति तक इकाई पर कोई विद्युत सरचार्ज नहीं लगाया जायेगा।

6.4.7 पुनर्वासन हो जाने के पश्चात् समस्त बकायों का समायोजन पुनर्वासन पैकेज के अनुसार कर दिया जायेगा।

6.4.8 समिति को यह अधिकार होगा कि पुनर्वासन योग्य इकाई के प्रकरण पर इकाई के रूग्ण होते ही उसका विद्युत संयोजन जोड़ दिया जाये और वास्तविक उपभोग के आधार पर इकाई बिल देना प्रारम्भ कर दें।

6.4.9 पुनर्वासन योग्य रूग्ण घोषित लघु औद्योगिक इकाई को आंशिक विद्युत भार समर्पित किये जाने की सुविधा पर भी समिति निर्णय लेगी। समर्पण की सुविधा न्यूनतम एक वर्ष तथा अधिकतम 2 वर्ष तक के लिये होगी। इस अवधि में यदि उद्योग अपना समर्पित भार वापस प्राप्त करना चाहता है तो उस पर सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ नही लगेगें। 100 हार्स पावर तक के लघु उद्योगों को भार समर्पित करने की निःशुल्क सुविधा उस दशा में उपलब्ध कराई जायेगी यदि वे इलेक्ट्रानिक्स मीटर स्थापित करें। इन मीटरों का मूल्य उनके बिलो मे समायोजित किया जायेगा।

6.5 श्रम विभाग

इकाई की श्रमिक समस्याओं के संबंध में राज्य सरकार यथा आवश्यक सहायता प्रदान करते हुये श्रमिक समस्याओं के समाधान हेतु तथा श्रम अभिनवीकरण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहयोग करेगी। इस पर निर्णय **Empowered Committee** द्वारा लिया जायेगा। पुनर्वासन पैकेज में इस बात की व्यवस्था होगी कि रूग्ण इकाई अपने श्रमिकों का वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ग्रेच्युटी भुगतान हेतु अनुतोषिक भुगतान अधिनियम 1972, बोनस भुगतान हेतु अधिनियम 1965 एवं इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों को देय अवकाशों हेतु कारखाना अधिनियम 1948 में प्राविधान निहित किये गये हैं। श्रमिकों का उपरोक्त अंकित कुल बकाया भुगतान पुनर्वासन होने के पश्चात् समान किश्तों में प्रत्येक तीन माह की अवधि में कुल बकाया धनराशि का भुगतान दो वर्षों में करेगी। इस प्रकार के शिथिलीकरण किये जाने पर श्रम विभाग के अनुसार उचित होगा कि इस प्रक्रिया में संबंधित प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक यूनियनों का भी अभिमत प्राप्त किया जाए तथा अंतिम पुनर्वासन पैकेज तैयार किये जाने के पूर्व श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य श्रम विभाग के हस्तक्षेप से देयों के भुगतान की समयावधि के संबंध में सहमति बना ली जाय **(पत्रांकः 3151/IRD-2013 दिनांक 12.12.2013 छायाप्रति संलग्न)**।

6.6 आबकारी विभाग

बकाया आबकारी करों का आस्थगन 5 वर्ष के लिये किया जा सकेगा जिसकी वसूली पैकेज मे उल्लिखित अवधि तक या 5 वर्ष जो भी पहले हो से की जायेगी। बकायों को माफ किये जाने के संबंध में निर्णय राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उपसमिति द्वारा लिया जायेगा।

6.7 भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन के संबंध में समय–समय पर जो सुविधायें बैंको/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इस योजना के अर्न्तगत उपलब्ध कराई जायेगी वे पुनर्वासन की जाने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों पर लागू होगी और यह सुविधा मण्डल स्तरीय तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

IEDUP

विचारार्थ सुझाव

7.0 रूग्ण तथा रूग्णोन्मुखी इकाईयों की अध्यतन स्थिति, समीक्षा तथा प्रगति जानने के लिये **एक पोर्टल का विकास किया जाना है।** जिस पर समस्त सूचनायें, आवेदन एवं **सन्दर्भ कोड संख्या अपलोड की जायेगी।** इसके निर्माण पर आने वाला वहन उद्योग निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

8.0 **पुनर्वासन क्रियान्वयन हेतु पैकेज कैबिनेट से पारित कराया जाना प्रस्तावित है**

पुनर्वासन प्रक्रिया का लाभ उन्हीं रूग्ण इकाईयों को मिलेगा जो पुनर्वासन योग्य है।

पुनर्वासन पैकेज को कैबिनेट से पास कराकर लागू करवाया जाय तो बिना अथॉरिटी के गठन के ही लागू करवाया जा सकता है। प्रावधान है कि :–

– वाणिज्य कर विभाग ने अधिनियम की धारा 38(1) एवं वैट अधिनियम की धारा 71 की उपधारा के अन्तर्गत सेक्शन 33(1 एवं 2) सेक्शन 39(1 एवं 2) के अन्तर्गत यह प्राविधान कर रखा है कि प्रदेश सरकार जिस भी संस्था को रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन पैकेज को लागू करवाने हेतु अधिकृत करती है को मान्यता वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी जायेगी।

– Electricity Regulatory Authority प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पैकेज को मानने के लिये बाध्य है।

9.0 पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा Rehabilitation Seed Support के रूप एक Rotating Fund सृजित किया जाना प्रस्तावित है। यह फण्ड उन रूग्ण इकाईयों को Soft Loan के रूप में 03 वर्षो हेतु छः माह के शुन्यकाल के साथ छः प्रतिशत साधारण ब्याज के रूप में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मण्डलीय स्तरीय समिति की संस्तुति के पश्चात् दिया जायेगा। जिन सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को बैंको द्वारा बनाये गये पुनर्वासन पैकेज के पश्चात् भी जो देनदारियां बकाया रह जाती है, जैसेः– मजदूरों का वेतन, अन्य स्थानीय कर इत्यादि हेतु इस FUND का उपयोग किया जायेगा।

इस फण्ड का सृजन राज्य सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से किया जायेगा। यह फण्ड प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाले ब्याज से बढ़ता भी जायेगा।

अथवा

पुनर्वासन पैकेज हेतु ऐसे Rotating Fund को सृजित किया जा सकता है, जो World Bank, ADB एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं से न्यूनतम ब्याज (1 से 2 प्रतिशत) की दर से ऋण प्राप्त कर Rehabilitation Seed Support फण्ड का विकास किया जा सकता है। इस फण्ड के प्रचालन की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार होगी। इस फण्ड का रखरखाव उद्योग निदेशालय एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा किया जायेगा।

IEDUP

चैप्टर – 03

रूग्णोन्मुखी इकाईयों की रोकथाम, प्रक्रिया एवं परामर्श बोर्ड का कार्य

3.0 रूग्णोमुखी इकाई घोषित करने की समय–सीमा एवं निराकरण प्रकिया

परिभाषाः– **(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित पत्र संख्याः RPCD.Co.MSME & NFS.Be.04 / 06.02.31/ 2012-13 November 01, 2012)**

रूग्णोन्मुखी लघु औद्योगिक ईकाईयों को रूग्ण होने के पूर्व ही बैंक समयवद्ध एवं पर्याप्त सहायता Proactive Basis पर रूग्ण होने के लक्षण प्राप्त होते ही प्रारंभ कर देगी। इस स्थिति को भारतीय रिजर्व बैंक ने 'Hand-holding Stage' के रूप में परिभाषित किया है कोई भी ईकाई का ऋृण खाता निम्न किन्ही भी एक कारणों से 'Hand holding stage' की श्रेणी में होगा।

(अ). वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने में प्रवर्तकों के नियंत्रण के बाहर के कारणों से छः महीनों से अधिक का विलम्ब होना।

(ब). इकाई को स्वीकृत सीमा के ऊपर दो वर्षो के लिये हानि अथवा एक वर्ष के लिए नकदी हानि।

(स). किसी वर्ष के दौरान मात्रा की दृष्टि से अनुमानित स्तर से 50 प्रतिशत से कम क्षमता उपयोग अथवा मूल्य की दृष्टि से अनुमानित स्तर से 50 प्रतिशत से कम बिक्री होना।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार कोई भी रूग्णोन्मुखी ईकाई के उपरोक्त संकेतों के प्राप्त होते ही वित्तीय संस्था निवारक कार्यवाही करते हुये इकाई के लेखा पुस्तकों की स्क्रूटनी, सलाह/काउसिलिंग सेवा एवं समयानुसार वित्तीय सहायता एवं गैर वित्तीय समस्याओं के समाधान हेतु अन्य सबंधित संस्थाओं से सहायता एवं मार्गदर्शन दिलवाना होगा। 'Hand holding' सहायता हेतु उपरोक्त प्रकार की ईकाईयों को बैंक द्वारा अधिकतम् दो माह के भीतर चिन्हित कर सहायता प्रदान करेगी। रूग्णोन्मुखी इकाई की परिभाषा यदि भविष्य में आर.बी.आई द्वारा परिवर्तित की जाती है तो उल्लिखित परिभाषा स्वतः तद्नुसार परिवर्तित मानी जायेगी।

रूग्ण हो रही इकाईयों की संख्या विभिन्न कारणों से प्रत्येक वर्ष बढ़ रहीं है। जिससे जहां एक ओर प्रदेश सरकार का काफी धनराशि कर इत्यादि में फंसी हुई है, वहीं दूसरी ओर बैंको की भी पूंजी इन रूग्ण हो रहीं इकाईयों में Blocked है। अतः आवश्यक है कि इकाईयों को रूग्ण होने से पूर्व ही रोका जाये। **इस हेतु उद्योग विभाग द्वारा भी Proactive पहल करने की आवश्यकता है।** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्णोन्मुखी इकाईयों को रूग्ण होने से रोकने के लिए 'Hand Holding Stage' का उल्लेख किया है, तथा प्राइमरी लेन्डर (बैंक) को इस अवस्था की जानकारी होते ही सलाह सुझाव इत्यादि की सुविधायें देने की बात कही है। इसी प्रकार प्राइमरी लेन्डर से महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ईकाई की सूचना प्राप्त कर इकाई को सहायता एवं परामर्श दिलवाने का कार्य करेंगे। इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर रूग्णता निवारण समिति का गठन किया जायेगा। इस औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति के निम्न सदस्य होंगेः–

01. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
02. प्राइमरी लेण्डर (वित्तीय संस्था)
03. स्थानीय औद्योगिक एसोसिएशन का प्रतिनिधि
04. स्थानीय चार्टड विशलेषक

इस औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति का मुख्य कार्य रूग्णता की रोकथाम समय रहते करना है। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं प्राइमरी लेण्डर से प्राप्त उन संकेतो पर सकारात्मक सहयोग देना जो आर0बी0आई0 द्वारा दी गयी रूग्णोन्मुखी इकाई की परिभाषा में आती है।

'Hand Holding Stage' में वर्णित तीनों स्थितियों के अतिरिक्त यह जरूरी है कि उद्यमी स्वयं जागरूक हो तथा अपनी इकाई को रूग्ण होने से बचाने के लिए तत्पर रहे। रूग्णोन्मुखी इकाईयों को रूग्ण होने से बचाने के लिए प्रत्येक इकाईयों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रारूप पर जो उद्योग

बन्धु के पोर्टल/रूग्ण इकाईयों हेतु विकसित पोर्टल/उद्योग निदेशालय की साइट पर उपलब्ध होगा, समस्त सूचनायें भरकर प्रस्तुत करेंगे। **इन समस्त सूचनाओं का उपयोग केवल इकाईयों को रूग्ण होने से बचाने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।**

औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति प्राइमरी लेडर/ वित्तीय संस्था जिससे इकाई को वित्तीय सहायता प्राप्त हुयी है से सामंजस्य बैठाते हुए इस बात की जानकारी हासिल करेगा कि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन अथवा नकदी हानि के क्या कारण है अथवा किसी भी अन्य प्रकार के उत्पादन की अनियमितता पाये जाने पर उसे Stressed Account (उत्पादन में विलम्ब अथवा नकदी हानि) की श्रेणी में आयेगा। इस स्तर पर औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति संबंधित इकाई से वांछित निम्न सूचनायें प्राप्त करेगा तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जनपद स्तर पर गठित प्रबंधकीय प्रकोष्ठ, तकनीकी प्रकोष्ठ एवं वित्तीय प्रकोष्ठ में प्रस्ताव रखकर वांछित सलाह/सहायता दिलवाने हेतु प्रयास करेगा।

औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोफार्मा का अध्ययन भी करेगा तथा उसमें इन्गित जो भी संकेतक यह दर्शित करेंगे कि इकाई भविष्य में रूग्ण हो सकती है उन्हें तत्काल जनपद स्तरीय प्रकोष्ठ से वांछित सहयोग लेने हेतु प्रेरित करेगा तथा सहयोग भी दिलायेगा। इस प्रकार की पहल से सम्भावित रूग्णता को रोकने में काफी सहायता मिलेगी। प्रोफार्मा में शामिल किये जाने वाले सम्भावित बिन्दु निम्नवत् होंगे **(आवेदन पत्र का सम्भावित प्रारूप)**:–

i. स्वामी एवं इकाई की साधारण जानकारी मय पंजीकरण संस्था एवं पता सहित।
ii. स्थापित होने का वर्ष।
iii. उत्पादित वस्तुये एवं बाजार।
iv. कुल पूंजी निवेश।
v. कुल 'बिजनेस प्लान में दर्शाये गये लक्ष्यों के प्राप्ति की स्थिति–उत्पादन लक्ष्य एवं बिक्री लक्ष्य।
vi. स्टाक का विवरण–परिसर में रखा भण्डार, विक्रय हेतु तैयार माल, अविक्रित माल।
vii. माहवारी देनदारियों की स्थिति–वेतन एवं मजदूरी, विद्युत का भुगतान, अन्य व्ययों का भुगतान, बैंक के ऋण भुगतान, करो का भुगतान इत्यादि।
viii. बैंक खातों में टर्नओवर की स्थिति।
ix. मशीन उपकरणों में कोई बड़ी खराबी, कारीगरों का हड़ताल, प्रबन्धन में परिवर्तन, निदेशक/साझेदारी की बीमारी अथवा मृत्यू, निदेशक/साझेदार में मतभेद, बैंक सीमा बढ़ाने का बार–बार अनुरोध। (यदि कोई)
x. बाजार स्थिति– मूल्य में एकाएक गिरावट, आयात–निर्यात, मूल्य निर्धारण, इकाई में सरकारी नीतियों के कारण परिवर्तन।
xi. अन्य कोई–कार्यशील पूंजी की कमी, अल्पअवधि फण्ड का दीर्घावधि फण्ड में परिवर्तन, विद्युत आपूर्ति।

3.1 रूग्णता रोकने की प्रक्रिया एवं जनपदीय स्तर प्रकोष्ठ के सदस्य

प्रत्येक जनपद में स्थापित हो रही नई इकाई अथवा पूर्व में सफलतापूर्वक चल रही इकाई उपरोक्त वर्णित प्रोफार्मा पर स्वेच्छा से प्रत्येक माह ऑनलाइन सूचनायें अपलोड करेगा। अपलोड न करने की स्थिति में प्रारूप को भरकर औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति (जिला उद्योग केन्द्र में स्थापित) में जमा करेगा। औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति बैंको से प्राप्त तथा प्रोफार्मा के आधार पर रूग्णोन्मुखी हो रही इकाइयों के प्राप्त संकेतों के आधार पर जनपद स्तरीय गठित प्रबंधकीय, तकनीकी एवं वित्तीय प्रकोष्ठ में प्रकरण को रखकर वांछित सहयोग किया जाएगा।

यह प्रकोष्ठ जनपद में स्थित उत्कृष्ट इंजीनियरिंग/प्रबंधकीय संस्थान में स्थापित होंगे जहां पर इस परामर्श प्रकोष्ठ का गठन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कराया जायेगा।

IEDUP

1. **प्रबंधकीय एवं वित्तीय प्रकोष्ठः**
   इस प्रकोष्ठ के गठन का उद्देश्य रूग्णोन्मुखी इकाई के रूग्ण होने के संकेत प्राप्त होते ही प्रबंधकीय एवं वित्तीय परामर्श एवं सहायता देना है। इस प्रकोष्ट में उद्यमी के अतिरिक्त निम्न सदस्य होंगे।
   - अ. संस्था के प्रबंधकीय विषय विशेषज्ञ
   - ब. औद्योगिक एसोशिएशन का प्रतिनिधि (उद्यमी के लिखित अनुरोध पर आमंत्रित किया जायेगा)
   - स. चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक
   - द. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव
   - ढ़ अग्रणी बैंक प्रबन्धक, अग्रणी बैंक एवं आवश्यकतानुसार प्राइमरी लेण्डर बैंक का प्रतिनिधि

प्रबंधकीय एवं वित्तीय प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यकतानुसार एक निश्चित समयावधि के भीतर अपनी सलाह एवं परामर्श इकाई के स्वामी को देगी जिससे रूग्णोन्मुखी इकाई को रूग्ण होने से पूर्व ही बचाया जा सके। इन प्रकोष्ठ का गठन करते समय महाप्रबन्धक उन प्रबन्धकीय संस्थाओं को प्राथमिकता देंगे जहां पर उद्यमिता प्रकोष्ठ/इन्क्यूबेसन पूर्व से ही स्थापित है।

2. **तकनीकी सहायता प्रकोष्ठः**
   इस प्रकोष्ठ का गठन जनपद में स्थित उत्कृष्ट इंजीनियरिंग संस्था में किया जायेगा। इन प्रकोष्ठों के गठन में महाप्रबन्धक उन संस्थाओं को प्राथमिकता देंगे जहां पर उद्यमिता प्रकोष्ठ/इन्क्यूबेसन पूर्व से ही स्थापित है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य रूग्णोन्मुखी इकाइयों से प्राप्त संकेतों के अध्ययन के पश्चात यदि किसी प्रकार के तकनीकी, सहयोग अथवा परामर्श की आवश्यकता होगी तो महाप्रंबधक, जिला उद्योग केन्द्र इस प्रकोष्ट के माध्यम से तकनीकी समस्याओं का निराकरण करवाने में सहयोग करेंगे जिससे रूग्णता को रोका जा सके। इस प्रकोष्ठ में उद्यमी के अतिरिक्त निम्न सदस्य होंगे।
   - अ. संस्था के इंजीनियरिंग विषय विशेषज्ञ– यांत्रिकी, इलैक्टीकल, इलेक्टानिक्स, डिजाइन इत्यादि।
   - ब. औद्योगिक एसोसिएशन का प्रतिनिधि
   - स. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव

उपरोक्त तीनों प्रकोष्ट को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संबद्धता दी जायेगी जिससे इंजीनियरिंग एवं प्रबंधकीय संस्थान अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से Industries – Institution Partnership Cell (IIPC) को बढ़ावा मिलेगा तथा भविष्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की इकाईयों को बेहतर मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त होगा। इस सेल का गठन उत्कृष्ठ इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धकीय संस्थानों में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के सहयोग से किया जायेगा तथा इस सेल में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र संस्थान के शोध एवं परामर्श विशेषज्ञ तथा स्थानीय एसोसिएशन के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इस सेल के गठन से कॉलेज के छात्र, छात्राओं को भी उद्यम स्थापना प्रक्रिया की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त होगी।

औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति के समान मंडल स्तरीय रूग्णता निवारण प्रकोष्ठ का गठन परिक्षेत्रीय/संयुक्त निदेशक, उद्योग के कार्यालय में किया जायेगा। मंडल स्तरीय रूग्णता निवारण प्रकोष्ठ में बैंक एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे।

मंडल स्तरीय रूग्णता निवारण समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य जिला स्तरीय औद्योगिक रूग्णता निवारण समिति को समय–समय पर मार्गदर्शन देना। जिन प्रकरणों में जनपद स्तर पर उचित कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। पर अपनी राय देना तथा सम्बन्धित विभाग से आवश्यक सामन्जस्य बैठाते हुये रूग्णता को रोकने हेतु उचित निर्देश देना।

जनपद एवं मंडल स्तर पर रूग्णता रोकने हेतु किये गये प्रयासों एवं उसमें आ रही ऐसी समस्या जिसका निराकरण राज्य स्तर पर किया जाना है ऐसे प्रकरणों पर राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं

से तालमेल हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर भी रूग्णता निवारण प्रकोष्ठ का गठन आयुक्त एवं निदेशक की देखरेख में किया जायेगा। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदेश स्तर पर रूग्णता रोकने हेतु समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन का कार्य किया जायेगा।

3.2 वित्तीय, प्रबंधकीय एवं तकनीकी प्रकोष्ट के गठन पर आने वाला व्यय तथा परामर्श शुल्क

हैण्ड होल्डिंग स्टेज पर रूग्णता को रोकने हेतु उपरोक्त प्रकोष्ट का गठन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें इंजीनियरिंग एवं प्रबंधकीय संस्थानों के विषय विशेषज्ञों के अतिरिक्त एवं चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक का पैनल होगा। प्रकोष्ट का गठन इच्छुक संस्थानों कें सहयोग से महाप्रबंधक की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। इस प्रकोष्ठ से लाभ लेने वाली इकाईयों को दो वर्ष के पश्चात् यदि पुनः किसी प्रकार की सलाह अथवा सहायता प्राप्त करनी है तो इस हेतु उसे निम्नानुसार एक निश्चित धनराशि परामर्श प्रबंधकीय एवं इंजीनियरिंग संस्थाओं को देनी होगी जिससे यह प्रकोष्ट सुचारू रूप से निरंतर अपनी सेवायें रूग्णता को रोकने के लिए प्रदान करता रहेः–

1. यदि इकाई का कुल निवेश (प्लान्ट एवं मशीनरी पर) रू0 50.00 लाख तक है तो रू0 10,000.00
2. यदि इकाई का कुल निवेश (प्लान्ट एवं मशीनरी पर) रू0 50.00 लाख से अधिक है तो रू0 25,000.00

3.3 रूग्णता रोकने हेतु प्रचार–प्रसार

रूग्णता रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा **इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया** पर निरन्तर प्रचार–प्रसार किया जायेगा, जिससे इकाईयों को जागरूक किया जा सके और वे समय रहते रूग्ण होने से बच सकें। साथ ही जनपद स्तर पर **कार्यशालाओं का आयोजन** भी किया जायेगा, जिसमें जनपद स्तरीय उद्यमियों को जागरूक करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इस पर आने वाले **समस्त व्ययों का वहन उद्योग निदेशालय द्वारा किया जायेगा।**

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक सं0 RPCD.MSME & NFS.BC No. 74/06.02.31/2012-13 दिनांक 09 मई 2013 के अनुसार Structured Mechanism for Monitoring the Credit Growth to MSME Sector के B भाग में Credit Proposal Tracking System (CPTS) के अनुसार सभी बैंको को अपनी शाखा में प्राप्त ऋण आवेदनों को CPTS पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिससे ऋण आवेदन पत्रों की अद्यतन स्थिति शाखा/मण्डल/बैंको के मुख्यालय स्तर पर मॉनीटरिंग की जा सकती है। इस व्यवस्था से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र भी शाखाओं से ऋण आवेदन पत्रों की स्थिति निस्तारण की स्थिति, तथा निस्तारण के बाद प्रगति की स्थिति को जान सकते है। इस CPTS व्यवस्था की जानकारी हेतु समस्त स्टेक होल्डर को (उद्यमी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, बैंको के अधिकारी इत्यादि को जागरूकता प्रदान करने हेतु व्यापक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन आर0बी0आई0 के सहयोग से प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओ द्वारा किया जायेगा।

3.4 रूग्णता रोकने हेतु नई इकाईयों से अपेक्षित अनिवार्य अंगीकृत कार्य

(i). रूग्णता रोकने हेतु जनपद में स्थापित हो रही प्रत्येक नई इकाई को अनिवार्य रूप से **हस्तशिल्प कारीगरों की तर्ज पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित "माइक्रो इन्श्योरेन्स योजना"** को नई इकाई स्थापित करने पर अपने **श्रमिकों हेतु पालिसी** लेगी तथा इसके प्रीमियम का **भुगतान का 10 प्रतिशत अंशराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।** इस 10 प्रतिशत अंश का भुगतान राज्य सरकार द्वारा उन इकाईयों को किया जायेगा जो 03 वर्षो तक इस पॉलिसी का संचालन निरन्तर करेंगी। इस अशं धनराशि का बजट प्रावधान विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। इस हेतु श्रम विभाग के पास श्रमिको के कल्याण हेतु उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की इन्श्योरेन्स पॉलिसी कुछ निजी अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा भी भारतवर्ष में लघु इकाईयों हेतु क्रियान्वित की जा रही है।

(ii). **सेक्शन 25 एफएफएफ के अन्तर्गत "जॉब लॉस पालिसी"** नई इकाई द्वारा इकाई स्थापित करते समय तथा इसके प्रीमियम का 75 प्रतिशत इकाई का प्रवर्तक स्वयं वहन करेगा तथा शेष 25 प्रतिशत कर्मचारी द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।

(iii). जनपद में स्थापित हो रही प्रत्येक नई इकाई को बैंको से ऋण प्राप्त करते समय CGTMSE के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जायेगा, जिससे भविष्य में यदि इकाई को किसी प्रकार की वित्तीय समस्या आती हो तो उसका ऋण इस योजना के तहत सुरक्षित रहेगा।

चैप्टर – 04

एक्जिट पॉलिसी

(एमएसएमई एक्ट 2006 के चैप्टर–5 का प्रस्तर 25 पर एक वर्ष के अन्दर भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है जो अभी प्रतीक्षित है।)

यदि कोई इकाई रूग्ण होने पर पुनर्वासन पैकेज के योग्य नहीं पाई जाती है तथा उद्यमी उसको सम्पूर्ण रूप से बन्द करना चाहता है तो उसे Exit करने की पूरी छूट होगी।

पुनर्वासन पैकेज हेतु अयोग्य घोषित एवं बन्द पड़ी इकाई अपना आवेदन एक्जिट करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

ऐसी इकाईयों के स्वामी/निदेशक/मुख्य कार्यकारी अपना आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित करेंगे जोकि जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर मण्डलीय समिति को अपनी संस्तुति भेजेगी। मण्डलीय समिति अपनी संस्तुति के साथ शासन स्तर पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित करेगी:–

जिला स्तरीय समिति

1.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	अध्यक्ष
2.	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
3.	सम्बन्धित बैंक जहॉ से वित्त पोषित है का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	उद्यमी	सदस्य
5.	इम्पैनल्ड चार्टर्ड एकाउण्टेंट/सी0एफ0ए0	सदस्य
6.	एसोसियेशन का प्रतिनिधि यदि उद्यमी चाहे	सदस्य

समिति का कार्य

समिति उद्यमी के पूरे प्रस्ताव पर विस्तार से विचार करेगी एवं विश्लेषण के साथ मण्डल स्तरीय समिति को अपनी संस्तुति भेजेगी। समिति विश्लेषण के समय निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान देगी:–

1. इकाई की कुल सम्पत्तियों का मूल्य
2. इकाई की कुल देनदारियां

उपरोक्त के साथ–साथ यह भी दृष्टिगत रखा जाएगा कि बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं की देनदारियां यदि सी0जी0टी0एम0एस0ई0 से पूरी हो सकती है, तो उसका लाभ दिया जाएगा अथवा बैंक के ओ0टी0एस0 के माध्यम से जो लाभ प्राप्त हो सकते है वह लाभ उपलब्ध करायें जाएंगे।

जिला स्तर से समस्त सूचनायें प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन का समय देते हुए इस आशय का विज्ञापन एक राष्ट्रीय एवं एक स्थानीय समाचार–पत्र में दिया जाएगा कि अमुख व्यक्ति उ0प्र0 सरकार की एक्जिट पालिसी के अन्तर्गत मुक्त होना चाहता है, यदि किसी इकाई के ऊपर कोई देनदारी है तो उसकी सूचना जिला उद्योग केन्द्र को प्रमाण सहित एक सप्ताह में उपलब्ध करा दे। यदि कोई सूचना 15 दिन के अन्दर नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो यह समझा जाएगा कि बाजार की इकाई पर कोई देनदारी नहीं है। इन सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय समिति मण्डल स्तरीय समिति को संस्तुति प्रेषित करेगी।

IEDUP

मण्डल स्तरीय/समिति का गठन

1.	अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक	सदस्य
3.	उद्यमी	सदस्य
4.	सी0एफ0ए0/सी0ए0	सदस्य
5.	एसोसियेशन के प्रतिनिधि यदि उद्यमी चाहे तो	सदस्य

यह समिति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्ताव का गुण अवगुण के आधार पर विश्लेषण करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति को प्रेषित करेगी।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति एस0पी0जी0 (स्पेशल परपज ग्रुप) के रूप में कार्य करेगी तथा समिति के सदस्य निम्न होंगे:–

1.	प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0	सदस्य/सचिव
3.	सम्बन्धित मण्डल के अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग	सदस्य
4.	वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम न हो	सदस्य
5.	ऊर्जा विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम न हो	सदस्य
6.	कर विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम न हो	सदस्य
7.	सम्बन्धित बैंक के महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी	सदस्य

इस एस0पी0जी0 का मुख्य कार्य पुनर्वासित नहीं की गयी रूग्ण इकाइयों को एक्जिट करने हेतु अनुमति प्रदान करना तथा रूग्ण इकाईयों की समस्त देनदारियों के भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारण करना होगा। दो माह पर एस0पी0जी0 अपनी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करेगी जिससे कार्यो को गति प्रदान की जा सके।

एक्जिट हेतु मण्डल स्तरीय पुनर्वासन/एक्जिट समिति अपनी संस्तुति के साथ एस.पी.जी. को अग्रसारित करेगी। जिस पर एस.पी.जी. द्वारा निर्णय लेते हुए बन्द इकाई को आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करेगा जिसके आधार पर इकाई, बैंक/वित्तीय संस्था, एवं इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से उपलब्ध भूमि/भवन/ मशीन/स्टाक का मूल्यांकन आदि इस्टीमेटर/वैल्यूअर (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) से करवाकर एस0.पी0जी0 को सूचित करते हुए अपनी इकाई को "जहॉ जैसी हालत में है" बेंचकर सभी देनदारियों को चुकता करेगा तथा इस प्रक्रिया के बाद जो भी अवशेष अतिरिक्त धनराशि होगी वह संबंधित इकाई की होगी।

जिन–जिन विभागों की देनदारियां है उनके भुगतान के क्रमों का निर्णय एस0पी0जी0 द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार जिला स्तरीय समिति करेगी। जिसका पैटर्न निम्नवत् होगा:–

1. श्रमिको की देनदारी
2. बैंक की देनदारी
3. ऊर्जा विभाग की देनदारी
4. कर विभाग की देनदारी
5. अन्य राजकीय देनदारियॉ
6. व्यक्तिगत देनदारियॉ

इन देनदारियों का भुगतार प्रोरेटा के आधार पर किया जायेगा। यदि परिसम्पित्तियों की बिक्री के पश्चात् तथा देनदारियों के भुगतान के पश्चात् धनराशि बचती है, वह उद्यमी को दे दी जायेगी। यदि धनराशि कम पड़ती है तो उस धनराशि को सम्बन्धित विभाग की राय द्वारा राइट ऑफ करने की कार्यवाही की जायेगी। सम्पत्तियों का निर्धारण उद्यमी द्वारा लिक्यूडेटर के माध्यम से निम्न समिति के सम्मुख किया जायेगा।

IEDUP

सम्पत्ति निस्तारण समिति

1. सम्बन्धित क्षेत्र का उप जिलाधिकारी
2. महाप्रबन्धक/प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र
3. सहायक आयुक्त श्रम
4. अधिशाषी/सहायक अभियन्ता विद्युत विभाग
5. सहायक आयुक्त वाणिज्य कर
6. सम्बन्धित बैंक का प्रतिनिधि

यदि उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात् भी देनदारी शेष रह जाती है तो प्रकरण को एस0पी0जी0 के पास विस्तृत विवरण सहित सन्दर्भित किया जायेगा, जोकि शेष देनदारियों के राइट ऑफ करने अथवा वसूली के सम्बन्ध में निर्णय करेगी।

जिस भी इकाई की देनदारियां अवशेष रह जाती है। सम्बन्धित विभाग पेनाल्टी एवं ब्याज के रूप में लगाई गयी धनराशि को छोड़कर मात्र मूल धनराशि की ही वसूली करेगा। इस प्रक्रिया से एक्जिट हो रही इकाई को कुछ हद तक राहत मिल जायेगी तथा सरकार/विभाग की अवरूद्व धनराशि जो वर्षो से लम्बित थी की भी प्राप्ति हो जायेगी।

उच्च अधिकार प्राप्त समिति का निर्णय न्यायालय की परिधि से बाहर होगा तथा इस आशय का अन्डरटेकिंग इकाई से प्रारम्भ में ही प्राप्त किया जायेगा। एक्जिट प्रक्रिया के दौरान लैण्ड रिवेन्यू एक्ट के अधीन इकाई के रिकवरी की प्रक्रिया को स्थगित रखा जायेगा, साथ ही जमींदारी उन्मूलन एक्ट के तहत भी इकाई का उत्पीड़न स्थगित रखा जायेगा।

इस प्रक्रिया के पश्चात् इकाई भविष्य में पुनः अपना नया व्यवसाय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से प्रारम्भ कर सकती है।

—: 30 जुलाई, 2014 :—